संख्या– 252 /XIX-1/22/13 खाद्य/2019

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2022

विशयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–2408 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (2408–01–102–खाद्य सहायता–01–01–50 सब्सिडी) में प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–2333, दिनांक–17.11.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–2408 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (2408–01–102–खाद्य सहायता–01–01–50 सब्सिडी) में प्राविधानित धनराशि ₹50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– उपरोक्त मद के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर, किश्तों में, वास्तविक व्यय/आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में, अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये खाद्यान्न की बिक्री/हस्तांतरण की व्यवस्था कम से कम समय में की जायेगी एवं विक्रय/हस्तांतरण के उपरान्त धनराशि की प्राप्ति/प्रतिपूर्ति भी तत्काल सुनिश्चित करायी जायेगी।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखे, व्यापार लेखा (ट्रेडिंग एकाउंट) के रूप में रखे जायेगें तथा प्रतिमाह ट्रायल बैलेंस तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लाभ–हानि लेखा बनाया जायेगा। गत वित्तीय वर्ष के व्यापार लेखा का तुलनात्मक एवं लाभ–हानि खाता शासन को तत्काल उपलब्ध कराते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के सम्बन्ध में भी त्रैमासिक आधार पर ट्रायल बैलेंस और लाभ–हानि लेखा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्यतिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।

6– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में व्यय नहीं किया जायेगा, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस स्थिति में व्यय से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

7– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय एवं न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से, अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

8– आयोजनेत्तर पक्ष, बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर, बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9– निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि से अनुदान मद में कोई व्यय नहीं किया जायेगा एवं यदि किसी प्रक्रियात्मक व्यवस्था के दृष्टिगत अनुदान मद का व्यय समायोजन योग्य शेष रहे तो उसका समायोजन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

10– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत, राज्य गठन से, वित्तीय वर्ष 2021–22 तक के तुलन पत्र तथा लेखा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–2408 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना–01–102–खाद्य सहायता–01–01–50 सब्सिडी के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 512 मतदेय/XXVII(5)21–22 दिनांक 25.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
सचिव।

संख्या–252/XIX-1/22/13 खाद्य/2019 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– महालेखाकार, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त विभाग–05/01, उत्तराखण्ड शासन।
5– नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।